रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092022-238857 CG-DL-E-15092022-238857

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 620] No. 620] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 15, 2022/भाद्र 24, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 15, 2022/BHADRA 24, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 700(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (परिभाषा संबंधी ब्यौरों के विनिर्देश) नियम, 2014 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (परिभाषा संबंधी ब्यौरों के विनिर्देश) संशोधन नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (परिभाषा संबंधी ब्यौरों के विनिर्देश) नियम, 2014 में,

नियम 2 में, उप नियम 1 में, खंड (न) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:-

"(न) इस अधिनियम की धारा 2 के खंड 85 के उपखंड (i) और उपखंड (ii) के प्रयोजनों के लिए, लघु कंपनी की समादत्त पूंजी और आवर्त क्रमशः चार करोड़ रुपये और चालीस करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा।"।

[फा. सं. 1/13/2013-सीएल-V, भाग-I]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) संख्या सा.का.नि. 238(अ.) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए और संख्या 123(अ) तारीख 19 फरवरी, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

6201 GI/2022 (1)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2022

- **G.S.R. 700(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Specification of Definition Details) Rules, 2014, namely:-
 - 1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called Companies (Specification of definition details) Amendment Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication of this notification in the Official Gazette.
 - 2. In the Companies (Specification of definition details) Rules, 2014,
 - in rule 2, in sub-rule (1), for clause (t), the following clause shall be substituted, namely:-
- "(t) For the purposes of sub-clause (i) and sub-clause (ii) of clause (85) of section 2 of the Act, paid up capital and turnover of the small company shall not exceed rupees four crore and rupees forty crore respectively.".

[F. No. 1/13/2013-CL-V, Part I]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, subsection(1) *vide* number G.S.R.238(E), dated the 31st March, 2014 and last amended, *vide* number 123 (E), dated the 19th February, 2021.